राजस्थान सरकार

निदेशालय, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.18(आई–66)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / 2010–11 / 2528–3146 दिनांक 13-2-12

## –: आदेश :–

एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की क्रियान्विति में पंचायत समितियों एवं जिला परिषद की भागीदारी सुनिश्चित करने एवं क्रियान्विति में पारदर्शिता रखने हेतु प्रत्येक परियोजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुमोदन हेतु विभागीय आदेश क्रमांक 5354–5811 दिनांक 22.03.2011 के माध्यम से विस्तृत निर्देश जारी किये गये थे।

विभिन्न स्तरों पर आयोजित समीक्षा बैठकों मे यह जानकारी में आया है कि जनप्रतिनिधियों को आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजना की समुचित जानकारी / सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर योजना के सम्बन्ध में अनभिज्ञता दर्शाई जा रही है।

अतः जनप्रतिनिधियों को योजना की समायानुसार समुचित जानकारी उपलब्ध करवाने के परिप्रेक्ष्य में निर्देश दिये जाते हैं कि पंचायत समिति स्तर पर गठित स्थायी समिति–उत्पादन कार्यक्रम एवं जिला परिषद स्तर पर गठित स्थायी समिति–विकास एवं उत्पादन कार्यक्रम की मासिक बैठक में जलग्रहण परियोजनाओं से सम्बन्धित स्थायी एजेण्डा निर्धारित किया जावे, जिसमें परियोजनाओं की अद्यतन जानकारी, प्रगति एवं आगामी माह में किये जाने वाले कार्यकलापों की सूचना आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाई जावें। जिला स्तर पर सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक एवं पंचायत समिति स्तर पर सम्बन्धित परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी उक्त मासिक बैठकों में आवश्यक रूप से विभागीय प्रतिनिधि के रूप मे उपस्थित रहेंगे एवं परियोजना से सम्बन्धित समस्त सूचना समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

प्रत्येक जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर सभी जनप्रतिनिधियों की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जावें, जिसमें जिला स्तर पर परियोजना प्रबन्धक एवं पंचायत समिति स्तर पर परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा आई.डब्ल्यू.एम.पी. के बारे में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई जावें।

उक्त आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जावें।

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

क्रमांक: एफ.18(आई–66)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / 2010–11 / 2528–3146 दिनांक: 13-2-12

प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राज. जयपुर।
5. माननीय जिला प्रमुख (समस्त)
6. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक (प्रशासन / एमआईईएस), निदेशालय, जयपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
9. उपनिदेशक (IWMP-I,II,III,IV,V,VI,VII) / परियोजना अधिकारी(भू–संसाधन), निदेशालय, जयपुर
10. परियोजना प्रबन्धक, वाटरशैड सेल कम डाटा सेन्टर एवं अधिशाषी अभियन्ता (भू–संसाधन), जिला परिषद (समस्त)
11. माननीय प्रधान, पंचायत समिति,
12. विकास अधिकारी, पंचायत समिति
13. परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी (IWMP) एवं सहायक अभियन्ता, पंचायत समिति.

निदेशक